

5



न्यायालय - माननीय राज्य मण्डल मध्य प्रदेश, गया त्पार

प्रकरण क्रमांक / / 2014 निगरानी

R. 785-JE/14

आशुतोषा सक्सेना पुत्र श्री गोपाल कृष्ण सक्सेना  
आयु - 14 वर्ष, नाबालिग संरक्षक पिता गोपाल  
कृष्ण सक्सेना, निवासी राहौगढ़ जिला गुना  
§ म0प्र0 § आयेदक

बनाम

1. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय गुना जिला गुना § म0प्र0 §
2. तहसीलदार राहौगढ़ परगना राहौगढ़ जिला गुना § म0प्र0 §
3. अनुविभागीय अधिकारी राहौगढ़ जिला गुना § म0प्र0 §
4. सहायक अधीक्षक भू अभिलेख राहौगढ़ जिला गुना म0प्र0
5. राज्य निरीक्षक वृत्त-1 राहौगढ़ जिला गुना § म0प्र0 § आयेदकगण

श. अशोक शर्मा, कोषी  
दिनांक 5-3-14  
सहायक मण्डल मध्य प्रदेश

नाथू-मानव के शक्ति  
14/9/16 के मानव के धर्म  
मानव-3

(5) नाथू के कोषी  
इस प्रकरण के कोषी  
राहौगढ़ जिला गुना

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राज्य  
संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक - 08-02-2013 प्रकरण क्रमांक  
46-अ-12 /2012-2013, न्यायालय तहसीलदार महोदय परगना  
राहौगढ़ जिला गुना § म0प्र0 §

महोदय,  
आयेदक की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार  
प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त विवरण

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आयेदक

5-3-14

5/3/14

3

कटे  
करने  
प  
मिल  
के तिये

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-785-दो/2014

जिला-गुना

आशुतोष सक्सेना विरुद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकार का अनुविभागीय हस्ताक्षर
17-06-2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</li><li>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</li><li>3. यह निगरानी तहसीलदार परगना राघौगढ़, जिला-गुना के प्र. क्र. 46/अ-12/2012-13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 08-02-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</li><li>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</li><li>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़, जिला-गुना को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 08-08-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</li></ol>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p>